न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/53/2023	2023/391	26–07–2023	21–11–2024

पीठासीन अधिकारी **मुकेश कुमार कायथवाल**

1– मुबारिक पुत्र सुबेदीन जाति मेव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम साबिक चिरखाना हाल चन्द्रबास तहसील व जिला अलवर राज.। ———**अपीलान्ट**

बनाम

1– कन्हैयालाल पुत्र श्री किशोरी लाल जाति महाजन उम्र करीब 56 वर्ष निवासी मौहल्ला प्रतापबास तहसील व जिला अलवर राज.।

2– श्रीमति गोमती बेवाह गिर्राज प्रसाद जाति महाजन उम्र करीब 55 वर्ष निवासी मौहल्ला प्रतापबास तहसील व जिला अलवर राज.।

3– ममता पुत्री स्व. गिर्राज प्रसाद जाति महाजन उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मौहल्ला प्रतापबास तहसील व जिला अलवर राज.।

4– वैशाली पुत्री स्व. गिर्राज प्रसाद जाति महाजन उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मौहल्ला प्रतापबास तहसील व जिला अलवर राज.।

5– बनवारी पुत्र चमेली पुत्र हीरालाल नवासा ईसर जाति जटिया निवासी मदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज.।

6– रमेश पुत्र चमेली पुत्र हीरालाल नवासा ईसर जाति जटिया निवासी मदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज.।

7– श्रीमती कमला पुत्री चमेली पुत्री हीरालाल नवासी ईसर धर्मपत्नि गोपाल जाति जटिया निवासी मदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज.।

8– कैला देवी पुत्री ईसर पत्नि टिल्लूराम जाति जटिया निवासी मदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज.।

9– नायब तहसीलदार भू. अभिलेख बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।
———**असल रेस्पोडेन्ट्स**

10– आमीन खां पुत्र श्री रहीम खां जाति मेव उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम साबिक चिरखाना हाल चन्द्रबास तहसील व जिला अलवर राज.।

11– मजीदन धर्मपत्नि सुबेदीन जाति मेव उम्र करीब 53 वर्ष निवासी ग्राम साबिक चिरखाना हाल चन्द्रबास तहसील व जिला अलवर राज.।

12– शौकीन पुत्र सुबेदीन जाति मेव उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम साबिक चिरखाना हाल चन्द्रबास तहसील व जिला अलवर राज.।

13– तारिफ पुत्र सुबेदीन जाति मेव निवासी ग्राम साबिक चिरखाना हाल चन्द्रबास तहसील व जिला अलवर राज.।

14– आरिफ पुत्र सुबेदीन जाति मेव निवासी ग्राम साबिक चिरखाना हाल चन्द्रबास तहसील व जिला अलवर राज.।

15– आसीनी पुत्री सुबेदीन धर्मपत्नि शेरून जाति मेव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी चिरखाना हाल निवासी अलगनी भरतपुर राज.।

16– फयाज पुत्री सुबेदीन धर्मपत्नि फौजी जाति मेव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी चिरखाना हाल निवासी अलगनी भरतपुर राज.। ———**तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स**

17– आसम खान पुत्र हरि खान उम्र करीब 36 साल जाति मेव निवासी ग्राम भुल्ला का बास जाहरखेडा सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।

18– रूस्तम पुत्र मुहर खा उम्र करीब 52 साल जाति मेव निवासी ग्राम भुल्ला का बास जाहरखेडा सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

19— चिरंजीलाल पुत्र श्री राम सिंह उम्र करीब 42 साल जाति जाटव निवासी ग्राम सोरवा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज.। ———असल रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 23.02.2022 नामान्तरण संख्या 993 ग्राम चन्दबास सब तहसील बहादरपुर न्यायालय नायब तहसीलदार बहादरपुर जिला अलवर राज.

उपस्थितः–

1. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता — अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री विश्वम्भर दयाल गुप्ता — अधिवक्ता असल रेस्पोडेन्टस संख्या 01,02 08 व 17,18,19
3. श्री दीपक कुमार मीणा — अधिवक्ता असल रेस्पोडेन्ट संख्या 09
4. श्री कुलदीप चन्द्र सैनी — अधिवक्ता तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लागायत 16
5. असल रेस्पोडेन्ट संख्या 03 लागायत 07 की अनुपस्थिति दर्ज

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/12/2024	2024/22	18–03–2024	21–11–2024

1— मुबारिक पुत्र सुबेदीन जाति मेव उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम साबिक चिरखाना हाल चन्द्रबास तहसील व जिला अलवर राज.। ———अपीलान्ट

बनाम

1— आसम खान पुत्र हरि खान जाति मेव निवासी ग्राम भुल्ला का बास, जाहरखेडा सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।

2— रूस्तम पुत्र मुहर खॉ जाति मेव निवासी ग्राम भुल्ला का बास, जाहरखेडा सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।

3— चिरंजीलाल पुत्र रामसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम सोरवा तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

4— कन्हैयालाल पुत्र श्री किशोरी लाल जाति महाजन उम्र करीब 58 वर्ष निवासी मौहल्ला प्रतापबास तहसील व जिला अलवर राज.।

5— श्रीमति गोमती बेवाह गिर्राज प्रसाद जाति महाजन उम्र करीब 57 वर्ष निवासी मौहल्ला प्रतापबास तहसील व जिला अलवर राज.।

6— ममता पुत्री स्व. गिर्राज प्रसाद जाति महाजन उम्र करीब 37 वर्ष निवासी मौहल्ला प्रतापबास तहसील व जिला अलवर राज.।

7— वैशाली पुत्री स्व. गिर्राज प्रसाद जाति महाजन उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मौहल्ला प्रतापबास तहसील व जिला अलवर राज.।

8— बनवारी पुत्र चमेली पुत्र हीरालाल नवासा ईसर जाति जटिया निवासी मदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज.।

9— रमेश पुत्र चमेली पुत्र हीरालाल नवासा ईसर जाति जटिया निवासी मदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज.।

10— श्रीमती कमला पुत्री चमेली पुत्री हीरालाल नवासी ईसर धर्मपत्नि गोपाल जाति जटिया निवासी मदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज.।

11— कैला देवी पुत्री ईसर पत्नि टिल्लूराम जाति जटिया निवासी मदनपुरी तहसील व जिला अलवर राज.।

12— नायब तहसीलदार भू. अभिलेख बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।

———असल रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

13– आमीन खां पुत्र श्री रहीम खां जाति मेव उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम साबिक चिरखाना हाल चन्द्रबास तहसील व जिला अलवर राज.।

14– मजीदन धर्मपत्नि सुबेदीन जाति मेव उम्र करीब 53 वर्ष निवासी ग्राम साबिक चिरखाना हाल चन्द्रबास तहसील व जिला अलवर राज.।

15– शौकीन पुत्र सुबेदीन जाति मेव उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम साबिक चिरखाना हाल चन्द्रबास तहसील व जिला अलवर राज.।

16– तारिफ पुत्र सुबेदीन जाति मेव निवासी ग्राम साबिक चिरखाना हाल चन्द्रबास तहसील व जिला अलवर राज.।

17– आरिफ पुत्र सुबेदीन जाति मेव निवासी ग्राम साबिक चिरखाना हाल चन्द्रबास तहसील व जिला अलवर राज.।

18– आसीनी पुत्री सुबेदीन धर्मपत्नि शेरून जाति मेव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी चिरखाना हाल निवासी अलगनी भरतपुर राज.।

19– फयाज पुत्री सुबेदीन धर्मपत्नि फौजी जाति मेव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी चिरखाना हाल निवासी अलगनी भरतपुर राज.। ————तरतीबी रेस्पोडेन्टस

20– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर ————तकमीली रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 05.03.2024 नामान्तरण संख्या 1055 ग्राम चन्दबास सब तहसील बहादरपुर न्यायालय नायब तहसीलदार बहादरपुर जिला अलवर राज.

उपस्थितः–

1. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री विश्वम्भर दयाल गुप्ता – अधिवक्ता असल रेस्पोडेन्टस संख्या 01 लगा0 07
3. श्री दीपक कुमार मीणा – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12 व 20
4. तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 लागायत 19 अनुपस्थित
5. असल रेस्पोडेन्ट संख्या 08 लगा0 11 की अनुपस्थिति दर्ज

—::निर्णय::—

दिनांकः— 21.11.2024

उक्त दोनों अपीले आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर में से 0.1190 हैक्टर वाके ग्राम चन्दबास नामान्तरण संख्या 993 दिनांक 23.02.2022 व 1055 दिनांक 05.03.2024 में दर्ज एक ही आराजी होने के कारण उक्त दोनों अपीलों का निर्णय एक ही साथ किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति दोनों अपीलों मे लगाई जावे। बअनुवान अपील मुबारिक बनाम कन्हैयालाल के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ईसर पुत्र हटिला जाति चमार ने उपरोक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 256 रकबा 14 बिस्वा जिसके बन्दोस्त सम्वत् 2051 मे हाल खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.1190 आवासीय भूमि तहसीलदार अलवर से आवसीय प्रयोजनार्थ हेतु शुल्क जमा कराकर कार्यालय तहसीलदार साहब अलवर के यहॉ से संपरिवर्तितत आदेश दिनांक 31/05/1994 के द्वारा कृषि भूमि से आवासीय भूमि मे संपरिवर्तन करवाया था। इसके पश्चात् अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने दिनांक 10/06/1994. को जरिये दस्तावेज बैयनामा क्रय किया था और ईसर पुत्र हटिला द्वारा विक्रय के समय कब्जा अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति तथा तरतीबी रस्पोडेन्ट संख्या 10 को दे दिया गया था, जो दस्तावेज बैयनामा दिनांक 28/08/1995 को पंजीबद्व किया गया। जिसके आधार पर अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

लागायत 16 के पिता व पति तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 का कब्जा था तथा अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 व 16 के पति व पिता की मृत्यु के पश्चात् अब उक्त विवादित जायदाद पर अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लागायत 16 का कब्जा मौके पर है। अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 का असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद से मधुर सम्बन्ध रहे है और आवश्यकता पडने पर रूपये उधार लेते रहे है और इसी क्रम मे अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद से आवश्यकता पडने पर 50,000/रूपये अक्षरेन पचास हजार रूपये उधार प्राप्त किये थे तथा उक्त 50,000/रूपये अक्षरेन पचास हजार रूपये की रकम उधार लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद के हक मे बिला कब्जा एक नुमाईशी बैयनामा तहरीरी दिनांक 04/10/1995 जिसे उप पंजीयक बहादरपुर द्वारा दिनांक 14/12/2000 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 38 के पृष्ठ संख्या 106 क्रम संख्या 457 पर पंजीबद्व किया जाकर अतिरिक्त जिल्द संख्या 121 के पृष्ट संख्या 38 लागायत 42 पर चस्पा किया गया है, जो विक्रय पत्र मात्र 50,000/रूपये उधार लेकर उस राशि को सुरक्षित रखने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद ने अपने हक मे मे करवाया था और वक्त बैयनामा अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने अपने हक मे हुए असल बैयनामा को असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद को दे दिया था और यह तय हुआ था कि जब अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 उक्त राशि को चुका देंगे तो उक्त बैयनामा वापिस उनके हक मे व उनके कहे अनुसार उस व्यक्ति के हक मे करा दिया जावेगा। जिससे असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लागायत 04 पाबन्द है। अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 द्वारा गिर्राज प्रसाद के जीवन काल मे ही दिनांक 18/05/2005 को उक्त उधार ली गई रकम अदा कर दी गई थी। असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 के पति व पिता ने अपने हक मे विवादित बैयनामा का नामान्तरण दर्ज नही करवाया। नामान्तरण जो कि एक लम्बा अन्तराल 27 वर्षो के बाद दर्ज करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 आमीन खां ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय मे बअनुवान आमीन खां बनाम कन्हैयालाल दावा बाबत घोषणात्मक व हुक्मईम्तनाईदवामी दायर किया तथा उक्त दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थना पत्र का निर्णय करने से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, अलवर के द्वारा मौका रिपौर्ट तहसीलदार (भू. अ.) अलवर से चाही गई। जिसमे तहसीलदार महोदय (भू. अ.) द्वारा स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर पर पटवारी हल्का कारौली की रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर विगत कई वर्षो से आमीन पुत्र रहीम खां निवासी चन्दबास एवं मुन्शी पुत्र सम्पत निवासी भुल्ला का बास का कब्जा काश्त है। वर्तमान मे उक्त आराजी पर पशुओ के लिये चारा बोया हुआ है। उक्त अपील न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई जो कालान्तर मे सुनवाई हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, अलवर राज. के यहॉ मुन्तकिल होंकर प्राप्त हुई। जिसको दर्ज रजिस्टर किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की गई। जिसका निस्तारण इस

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मे अपील के साथ दफा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अपीलान्ट द्वारा दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका जबाब रेस्पोंडेन्टस द्वारा नही दिया गया और अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराया कि तहत अदालत का निर्णय दिनांक 23/02/2022 से दिनांक 31/07/2022 तक का समय जानकारी ना होने के कारण (जानकारी के अभाव मे) बवजह लाईल्मी होने के कारण तथा दिनांक 01/08/2022 को जानकारी होने पर जानकारी की दिनांक 01/08/2022 से आज तक का समय अन्दर अवधि होने के कारण कण्डोन किया जाकर मियाद मे शुमार किये जाने का निवेदन किया अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस अपीलान्ट के तथ्यो का उत्तर दिया और अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा मियाद के बिन्दू पर आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1378 राजस्थान उच्च न्यायालय, डी.एन.जे. 2015 उच्चतम न्यायालय पेज 592, सी. जे. सिविल. 2016 (1) पेज 111 उच्चतम न्यायालय, आर. आर.टी. 2011 (1) पेज 602 उच्चतम न्यायालय की नजीर प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालयो की नजीरो का अवलोकन किया गया रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई नजीरे प्रस्तुत नही की गई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के निर्णयो का अवलोकन करने पर उक्त नजीरात उक्त अपील पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है। जिसका अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर अवधि शुमार की जाती है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्ट द्वारा 1– न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर राज. मे प्रस्तुत राजस्व वाद बअनुवान आमीन खां वादी बनाम कन्हैयालाल वगैरा प्रतिवादीगण जिसका मुकदमा नम्बर 1/26/2022 है जिस राजस्व वाद व वाद पत्र पत्रावली की आदेशिका व 2– न्यायालय सिविल न्यायधीश महोदय, संख्या 01 अलवर राज. मे प्रस्तुत दीवानी वाद बअनुवान आमीन खां वगैरा वादीगण बनाम कन्हैयालाल वगैरा प्रतिवादीगण जिसका मुकदमा नम्बर 311/2022 है जिस वाद व वाद पत्र की पत्रावली की आदेशिका प्रस्तुत की गई है जो प्रामाणित प्रतिलिपी है। जिसकी बाबत अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया और सीधे ही बहस की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दस्तोजात का अवलोकन किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात को रिकोर्ड पर लिया गया। दौराने अपील आसम खान पुत्र हरि खान, रूस्तम पुत्र मुहर खा, चिरंजीलाल पुत्र श्री राम सिंह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया गया। जिसका जबाब अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का स्वीकार किया जाकर आसम खान पुत्र हरि खान, रूस्तम पुत्र मुहर खा, चिरंजीलाल पुत्र श्री रामसिंह को पक्षकार अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 17 लागायत 19 बनाया गया और अपीलान्ट द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ईसर पुत्र हटिला जाति चमार ने उपरोक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 256 रकबा 14 बिस्वा जिसके बन्दोस्त सम्वत् 2051 मे हाल खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.1190 आवासीय भूमि तहसीलदार अलवर से आवसीय प्रयोजनार्थ हेतु शुल्क जमा कराकर कार्यालय तहसीलदार साहब अलवर के यहॉ से संपरिवर्तितत आदेश दिनांक 31/05/1994 के द्वारा कृषि भूमि से आवासीय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

भूमि मे संपरिवर्तन करवाया था। इसके पश्चात् अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने दिनांक 10/06/1994. को जरिये दस्तावेज बैयनामा क्रय किया था और ईसर पुत्र हटिला द्वारा विक्रय के समय कब्जा अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को दे दिया गया था, जो दस्तावेज बैयनामा दिनांक 28/08/1995 को पंजीबद्व किया गया। जिसके आधार पर अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 का कब्जा था तथा अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 व 16 के पति व पिता की मृत्यु के पश्चात् अब उक्त विवादित जायदाद पर अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लागायत 16 का कब्जा मौके पर है। अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 का असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद से मधुर सम्बन्ध रहे है और आवश्यकता पडने पर रूपये उधार लेते रहे है और इसी क्रम मे अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद से आवश्यकता पडने पर 50,000/रूपये अक्षरेन पचास हजार रूपये उधार प्राप्त किये थे तथा उक्त 50,000/रूपये अक्षरेन पचास हजार रूपये की रकम उधार लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद के हक मे बिला कब्जा एक नुमाईशी बैयनामा तहरीरी दिनांक 04/10/1995 जिसे उप पंजीयक बहादरपुर द्वारा दिनांक 14/12/2000 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 38 के पृष्ठ संख्या 106 क्रम संख्या 457 पर पंजीबद्व किया जाकर अतिरिक्त जिल्द संख्या 121 के पृष्ट संख्या 38 लागायत 42 पर चस्पा किया गया है, जो विक्रय पत्र मात्र 50,000/रूपये उधार लेकर उस राशि को सुरक्षित रखने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद ने अपने हक मे मे करवाया था और वक्त बैयनामा अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने अपने हक मे हुए असल बैयनामा को असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद को दे दिया था और यह तय हुआ था कि जब अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 उक्त राशि को चुका देंगे तो उक्त बैयनामा वापिस उनके हक मे व उनके कहे अनुसार उस व्यक्ति के हक मे करा दिया जावेगा। जिससे असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लागायत 04 पाबन्द है। अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लागायत 16 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 द्वारा गिर्राज प्रसाद के जीवन काल मे ही दिनांक 18/05/2005 को उक्त उधार ली गई रकम अदा कर दी गई थी। असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 के पति व पिता ने अपने हक मे विवादित बैयनामा का नामान्तरण दर्ज नही करवाया। नामान्तरण जो कि एक लम्बा अन्तराल 27 वर्षो के बाद दर्ज करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 आमीन खां ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय मे बअनुवान आमीन खां बनाम कन्हैयालाल दावा बाबत घोषणात्मक व हुक्मईम्तनाईदवामी दायर किया तथा उक्त दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थना पत्र का निर्णय करने से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, अलवर के द्वारा मौका रिपौर्ट तहसीलदार (भू. अ.) अलवर से चाही गई। जिसमे तहसीलदार महोदय (भू. अ.) द्वारा स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हैक्टर पर पटवारी हल्का कारौली की रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर विगत कई वर्षो से आमीन पुत्र रहीम खां निवासी चन्दबास एवं मुन्शी पुत्र सम्पत निवासी भुल्ला का बास का कब्जा काश्त है। वर्तमान मे उक्त आराजी पर पशुओं के लिये चारा बोया हुआ है। अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त सी.जे. सिविल 2019 (2) पेज 313 उच्चतम न्यायालय, डी.एन.जे. 2011 पेज 782 उच्चतम न्यायालय, आर.आर. सी. 1995 पेज 03 पैरा 05 व 06, आर.आर.टी. 2022 (1) पेज 607 पैरा 07, आर.आर. टी. 2022 (1) पेज 184 अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे कहा कि आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.0610 बारानी प्रथम जिसका लगान 0.49 रूपये है, शेष रकबा 0.1190 गैर मुमकिन आबादी का कोई राजस्व लगान नही है। केवल कृषि भूमि का ही लगान होता है आबादी की भूमि का लगान नही होता है नामान्तरण केवल राजस्व लगान की अदायगी हेतु ही सक्षम बनाता है। आबादी मे की भूमि का लगान किस्म परिवर्ततन होते ही आबादी मे आने के बाद समाप्त हो जाता है, इसलिए आबादी का नामान्तरण दर्ज नही होता है। जिसके समर्थन मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त सी.जे. सिविल 2019 (2) पेज 313 मे माननीयउच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आबादी की भूमि का नामान्तरण दर्ज नही किया जा सकता है। इस प्रकार आबादी का नामान्तरण संख्या 993 दर्ज किया गया है वह विधि विरूद्व है। Rajasthan land revenue act 1956 section 135 held that while attesting mutation it is the duty of the attesting authority to see the compliance of rule 133 of the land record rules has been made in respect of possession according the sale deed. आर.आर.सी. 1995 पेज 03 पैरा 05 व 06 मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि विक्रय पत्र मे जो कुछ लिखा हुआ है वह केवल पंजीयन अधिकारी के सामने किया गया विवरण है लेकिन नामान्तरण तस्दीक करते वक्त तस्दीक करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस बात की जॉच करे कि कब्जा वास्तव मे ही क्रेता के पास चला गया है जब तक नियम 133 की पालना नही होती तब तक नामान्तरण सही तरीके से तस्दीक किया हुआ नही माना जा सकता है तथा यही सिद्वान्त आर.आर.टी. 2022 (1) पेज 607 पैरा 07 मे भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 आमीन खां ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय मे बअनुवान आमीन खां बनाम कन्हैयालाल द्वारा घोषणात्मक व हुक्मईम्तनाईदवामी दायर किया जिसमे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, अलवर के द्वारा मौका रिपौर्ट तहसीलदार (भू. अ.) अलवर से चाही गई। जिसमे तहसीलदार महोदय (भू. अ.) द्वारा स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर पर विगत कई वर्षो से आमीन पुत्र रहीम खां निवासी चन्दबास एवं मुन्शी पुत्र सम्पत निवासी भुल्ला का बास का कब्जा काश्त है। जिससे बखूबी साबित है कि उक्त आराजी पर असल रेस्पोडेन्ट का कब्जा नही रहा है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे यह भी तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की गई है तो वह आदेश वोईड है जैसा कि आर.आर.टी. 2022 (1) पेज 184 मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है और अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 993 दिनांक 23/02/2022 वाके ग्राम चन्दबास अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहादरपुर जिला अलवर का निर्णय अपास्त फरमाया जावे तथा उपरोक्त आराजी के निस्फ हिस्से का नामान्तरण कब्जे के आधार पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लागायत 16 के हक मे खोला जावे। इसके जबाब मे विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस मे तर्क दिया कि न्यायालय नायब तहसीलदार बहादरपुर द्वारा नामान्तरण संख्या 993 वाके ग्राम चन्दबास सही प्रकार से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

दर्ज कर स्वीकार किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है वह खिलाफ कानून प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील सारहीन है रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन मे जो सिविल न्यायाधीश महोदय, अलवर के यहॉ दायर दावे आमीन बनाम कन्हैयालाल का उक्त विवादित आराजी के सन्दर्भ मे दायर किया गया। जिसमे मुझ रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दू पर दायर किया गया था। जिस प्रार्थना पत्र को माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय, अलवर द्वारा खारिज फरमा दिया गया था। जिस आदेश के विरूद्व याचिका माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर मे प्रस्तुत की गई जो रेस्पोडेन्ट की याचिका स्वीकार की जाकर वाद को खारिज फरमा दिया गया जिस आदेश के विरूद्व वादी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय मे एस.एल.पी. दायर की गई जो खारिज फरमा दी गई इसलिए अपीलान्ट का कोई वजूद नही रहा है। रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आर.आर. डी. 2011 पेज 31, आर.आर.डी. 2001 पेज 223, आर.आर.डी. 2003 पेज 276, आर.आर. डी. 2002 पेज 282, आर.आर.डी. 2010 पेज 224, आर.आर.डी. 1994 पेज 22 प्रस्तुत किये और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी जरिये विक्रय पत्र खरीद की गई तथा हम रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लागायत 04 के हक मे जो नामान्तरण संख्या 993 दर्ज किया गया है वो सही स्वीकार किया गया है एवं अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के हक मे नामान्तरण दर्ज करने का ऐतराज किया और कथन किया कि कानूनन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लागायत 16 के हक मे नामान्तरण स्वीकार नही किया जा सकता है और अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस समाप्त की गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरात का ससम्मान अवलोकन किया गया और पाया कि उक्त अपील आबादी की भूमि को लेकर की गई है। इस कारण अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरात हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होती है। जिसके उत्तर मे अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि आमीन द्वारा प्रस्तुत दावा केवल मियाद के बिन्दू पर खारिज किया गया है उसमे किसी भी प्रकार के कोई हक हकूक तय नही किये गये है इसलिए उक्त निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे सलंग्न दस्तावेजात का व प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरण संख्या 993 आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.1190 हैक्टर गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम चन्दबास का आबादी का नामान्तरण है तथा उक्त आबादी की भूमि पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टस का कब्जा है और उक्त आबादी की भूमि पर असल रेस्पोडेन्टस का कब्जा नही है तथा मौके पर काश्त हो रही है जो कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार अलवर दिनांक 22/03/2022 से साबित है। जिसके अनुसार वर्तमान मे भी उक्त आराजी पर आमीन पुत्र रहीम खॉ व मुन्शी पुत्र सम्पत का कब्जा काश्त है व पशुओ के लिए चारा बोया हुआ है। **राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 की नियम 14 ''संपरिवर्तन के पश्चात भूमि का उपयोग''**– ''के अनुसार कोई रिवर्जन की अनुमति नही दी जायेगी यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई खातेदार जिसने अपनी भूमि को संपरिवर्तन कराने के बाद अपनी भूमि को ऐसे किसी व्यक्ति को अन्तरित कर दी है जो तदअनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है। ऐसे मामले मे जहॉ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य ने अपनी संपरिवर्तित भूमि को किसी व्यक्ति को अंतरित कर दी है और ऐसी भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजनो के लिये पॉच वर्षो की समयावधि या बढाई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

गई समयावधि मे नही किया गया है तो ऐसी भूमि बिना किसी मुआवजे के राज्य सरकार मे निहित हो जायेगी।''

चूँकि मूल रूप से विवादित आराजी ईसर पुत्र हटिला जाति चमार की खातेदारी की आराजी थी जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हे जिसने खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर वाके ग्राम चिरखाना चन्द्रबास तहसील अलवर मे से 0.1190 वर्गमीटर का आवासीय भूमि हेतु तहसीलदार अलवर से आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु शुल्क जमा कराकर कार्यालय तहसीलदार अलवर के यहाँ से संपरिवर्तन आदेश दिनांक 31/05/1994 के द्वारा कृषि भूमि से आवासीय भूमि मे संपरिवर्तन करवाया था जिसके पश्चात् ईसर पुत्र हटिला जाति चमार के द्वारा उपरोक्त आराजी को आमीन, सुबेदीन पुत्रान रहीम खां जाति मेव निवासी हाल चन्दबासत तहसील व जिला अलवर राज. को दिनांक 10/06/1994 को जरिये दस्तावेज बैयनामा विक्रय किया जिसके पश्चात आमीन सुबेदीन पुत्रान रहीम खा द्वारा गिर्राज प्रसाद कन्हैयालाल पुत्रान किशोरी लाल जाति महाजन को जरिये बैयनामा दिनांक 04/10/1995 को विक्रय कर दिया उसके पश्चात आराजी का कृषि से अकृषि प्रयशेजार्थ संपरिवर्तन होने के काफी अरसा समय लगभग 30 वर्षो के पश्चात् भी उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और वर्तमान मे भी उक्त आराजी का प्रयोग कृषि कार्य हेतु किया ज रहा है जो कि राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 की नियम 14 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.1190 हैक्टर वाके ग्राम चन्दबास तहसील व जिला अलवर को सिवायचक दर्ज कर राजकीय खाते मे दर्ज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से इस हद तक स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 993 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लागायत 04 के नाम निर्णय दिनांक 23/02/2022 वाके ग्राम चन्दबास अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहादरपुर जिला अलवर आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.1190 हैक्टर गैरमुमकिन आबादी का निरस्त किया जाता है व नायब तहसीलदार बहादरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर में से 0.1190 हैक्टर भूमि को खसरा नम्बर 454 में से कम की जाकर उक्त आबादी की भूमि को सिवायचक दर्ज की जाकर राजकीय खाते में जमाबन्दी में दर्ज किया जावे तथा शेष रकबा 0.0610 बारानी प्रथम को यथावत रखा जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज यह निर्णय दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपील संख्या 11/12/2024 बअनुवान मुबारिक बनाम आसम खान के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 05/03/2024 नामान्तरण संख्या 1055 न्यायालय नायब तहसीलदार बहादरपुर वाके ग्राम चन्दबास सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज. की बाबत आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.1190 हैक्टर के खिलाफ प्रस्तुत की गई है कि ईसर पुत्र हटिला जाति चमार ने उपरोक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 256 रकबा 14 बिस्वा जिसके बन्दोस्त सम्वत् 2051 मे हाल खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.1190 आवासीय भूमि तहसीलदार अलवर से आवसीय प्रयोजनार्थ हेतु शुल्क जमा कराकर कार्यालय तहसीलदार साहब अलवर के यहाँ से संपरिवर्तितत आदेश दिनांक 31/05/1994 के द्वारा कृषि भूमि से आवासीय भूमि मे संपरिवर्तन करवाया था। इसके

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

पश्चात् अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ने दिनांक 10/06/1994. को जरिये दस्तावेज बैयनामा क्रय किया था और ईसर पुत्र हटिला द्वारा विक्रय के समय कब्जा अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन को दे दिया गया था, जो दस्तावेज बैयनामा दिनांक 28/08/1995 को पंजीबद्व किया गया। जिसके आधार पर अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन का कब्जा था तथा अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 व 19 के पति व पिता सुबेदीन की मृत्यु के पश्चात् अब उक्त विवादित जायदाद पर अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 लागायत 19 का कब्जा मौके पर है। अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन का असल रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 07 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद से मधुर सम्बन्ध रहे है और आवश्यकता पडने पर रूपये उधार लेते रहे है और इसी क्रम मे अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन ने असल रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 07 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद से आवश्यकता पडने पर 50,000/रूपये अक्षरेन पचास हजार रूपये उधार प्राप्त किये थे तथा उक्त 50,000/रूपये अक्षरेन पचास हजार रूपये की रकम उधार लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 07 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद के हक मे बिला कब्जा एक नुमाईशी बैयनामा तहरीरी दिनांक 04/10/1995 जिसे उप पंजीयक बहादरपुर द्वारा दिनांक 14/12/2000 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 38 के पृष्ठ संख्या 106 क्रम संख्या 457 पर पंजीबद्व किया जाकर अतिरिक्त जिल्द संख्या 121 के पृष्ट संख्या 38 लागायत 42 पर चस्पा किया गया है, जो विक्रय पत्र मात्र 50,000/रूपये उधार लेकर उस राशि को सुरक्षित रखने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 07 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद ने अपने हक मे मे करवाया था और वक्त बैयनामा अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ने अपने हक मे हुए असल बैयनामा को असल रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 07 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद को दे दिया था और यह तय हुआ था कि जब अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 उक्त राशि को चुका देंगे तो उक्त बैयनामा वापिस उनके हक मे व उनके कहे अनुसार उस व्यक्ति के हक मे करा दिया जावेगा। जिससे असल रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लागायत 07 पाबन्द है। अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन द्वारा गिर्राज प्रसाद के जीवन काल मे ही दिनांक 18/05/2005 को उक्त उधार ली गई रकम अदा कर दी गई थी। नामान्तरण एक लम्बा अन्तराल 27 वर्षो के बाद दर्ज कानून व रिकोर्ड एवं मौके के खिलाफ करवाया है, जो नामान्तरण संख्या 993 वाके ग्राम चन्दबास है। जिस नामान्तरण संख्या 993 वाके ग्राम चन्दबास सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज. के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की हुई है, जो विचाराधीन है जिसमे नायब तहसीदार बहादरपुर भी पक्षकार रेस्पोडेन्ट संख्या 09 है और बतौर पक्षकार मुकदमा होने के बावजूद भी तहत अदालत द्वारा बेचान का नामान्तरण संख्या 1055 दिनांक 05/03/2024 को दर्ज किया है। जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लागायत 03 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया है जिससे बखूबी साबित है कि असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लागायत 03 को बखूबी जानकारी रही

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

है कि उक्त विवादित आराजी पर असल रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लागायत 07 का कब्जा काश्त नही है फिर भी असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लागायत 07 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 12 से मिलत करके नुमायशी तौर पर उक्त नामान्तरण संख्या 1055 दर्ज करवाया है। तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन खां ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय मे बअनुवान आमीन खां बनाम कन्हैयालाल दावा बाबत घोषणात्मक व हुक्मईम्तनाईदवामी दायर किया तथा उक्त दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थना पत्र का निर्णय करने से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, अलवर के द्वारा मौका रिपौर्ट तहसीलदार (भू. अ.) अलवर से चाही गई। जिसमे तहसीलदार महोदय (भू. अ.) द्वारा स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर पर पटवारी हल्का कारौली की रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर विगत कई वर्षो से आमीन पुत्र रहीम खां निवासी चन्दबास एवं मुन्शी पुत्र सम्पत निवासी भुल्ला का बास का कब्जा काश्त है। वर्तमान मे उक्त आराजी पर पशुओ के लिये चारा बोया हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित जायदाद पर आमीन पुत्र रहीम खां वगैरा का कब्जा है। जिसको दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मे अपील के साथ दफा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका जबाब रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ईसर पुत्र हटिला जाति चमार ने उपरोक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 256 रकबा 14 बिस्वा जिसके बन्दोस्त सम्वत् 2051 मे हाल खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.1190 आवासीय भूमि तहसीलदार अलवर से आवसीय प्रयोजनार्थ हेतु शुल्क जमा कराकर कार्यालय तहसीलदार साहब अलवर के यहॉ से संपरिवर्तितत आदेश दिनांक 31/05/1994 के द्वारा कृषि भूमि से आवासीय भूमि मे संपरिवर्तन करवाया था। इसके पश्चात् अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ने दिनांक 10/06/1994. को जरिये दस्तावेज बैयनामा क्रय किया था और ईसर पुत्र हटिला द्वारा विक्रय के समय कब्जा अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन को दे दिया गया था, जो दस्तावेज बैयनामा दिनांक 28/08/1995 को पंजीबद्व किया गया। जिसके आधार पर अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन का कब्जा था तथा अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 व 19 के पति व पिता सुबेदीन की मृत्यु के पश्चात् अब उक्त विवादित जायदाद पर अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 लागायत 19 का कब्जा मौके पर है। अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन का असल रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 07 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद से मधुर सम्बन्ध रहे है और आवश्यकता पडने पर रूपये उधार लेते रहे है और इसी क्रम मे अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन ने असल रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 07 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद से आवश्यकता पडने पर 50,000/रूपये अक्षरेन पचास हजार रूपये उधार प्राप्त किये थे तथा उक्त 50,000/रूपये अक्षरेन पचास हजार रूपये की रकम उधार लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 07 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद के हक मे बिला

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

कब्जा एक नुमाईशी बैयनामा तहरीरी दिनांक 04/10/1995 जिसे उप पंजीयक बहादरपुर द्वारा दिनांक 14/12/2000 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 38 के पृष्ठ संख्या 106 क्रम संख्या 457 पर पंजीबद्व किया जाकर अतिरिक्त जिल्द संख्या 121 के पृष्ट संख्या 38 लागायत 42 पर चस्पा किया गया है, जो विक्रय पत्र मात्र 50,000/रूपये उधार लेकर उस राशि को सुरक्षित रखने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 07 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद ने अपने हक मे मे करवाया था और वक्त बैयनामा अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ने अपने हक मे हुए असल बैयनामा को असल रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लागायत 07 के पति व पिता गिर्राज प्रसाद को दे दिया था और यह तय हुआ था कि जब अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 उक्त राशि को चुका देंगे तो उक्त बैयनामा वापिस उनके हक मे व उनके कहे अनुसार उस व्यक्ति के हक मे करा दिया जावेगा। जिससे असल रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लागायत 07 पाबन्द है। अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता व पति सुबेदीन तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन द्वारा गिर्राज प्रसाद के जीवन काल मे ही दिनांक 18/05/2005 को उक्त उधार ली गई रकम अदा कर दी गई थी। जिस क्रम मे अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा मौखिक रूप से निवेदन किया कि अपील के साथ प्रस्तुत सलंग्न दस्तावेजात मे दो बैयनामो की प्रति लगी हुई है। जिसमे बैयनामा सुबेदीन बहक गिर्राज प्रसाद व कन्हैयालाल तहरीरी दिनांक 13/11/1995 जो उप पंजीयक बहादरपुर के यहॉ दिनांक 20/11/1995 को पंजीबद्व किया गया जो भी एक नुमायशी बैयनामा था जिसके द्वारा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट 14 लागायत 19 के पति व पिता सुबेदीन ने रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 लागायत 07 के पति व पिता से रूपये उधार लिये थे जिसकी ऐवज यह नुमायशी बैयनामा कराया गया रकम चुकता करने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 लागायत 07 के पति व पिता ने बैयनामा दिनांक 07/06/1999 पंजीबद्व दिनांक 09/07/1999 गिर्राज प्रसाद वगैरा बहक रहीम खा पुत्र खुद्धी के ह कमे वापस करा दिया उक्त रहीम खा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पिता सुबेदीन के पिता है। जिससे अपीलान्ट के उक्त तर्क को बल मिलता है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लागायत 19 के पति व पिता तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 का रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 लागायत 07 के पति व पिता के साथ लेन देन का व्यवहार रहा है। नामान्तरण एक लम्बा अन्तराल 27 वर्षो के बाद दर्ज कानून व रिकोर्ड एवं मौके के खिलाफ करवाया है, जो नामान्तरण संख्या 993 वाके ग्राम चन्दबास है। जिस नामान्तरण संख्या 993 वाके ग्राम चन्दबास सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज. के विरुद्व अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की हुई है, जो बअनुवान मुबारिक बनाम कन्हैयालाल है जिसका निर्णय भी इसी निर्णय के द्वारा किया जा रहा है। तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन खां ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय मे बअनुवान आमीन खां बनाम कन्हैयालाल दावा बाबत घोषणात्मक व हुक्मईम्तनाईदवामी दायर किया तथा उक्त दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थना पत्र का निर्णय करने से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, अलवर के द्वारा मौका रिपौर्ट तहसीलदार (भू. अ.) अलवर से चाही गई। जिसमे तहसीलदार महोदय (भू. अ.) द्वारा स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर पर पटवारी हल्का कारौली की रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर विगत कई वर्षो से आमीन पुत्र रहीम खां निवासी चन्दबास एवं मुन्शी पुत्र सम्पत निवासी भुल्ला का बास का कब्जा काश्त है। वर्तमान मे उक्त आराजी पर पशुओ के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

लिये चारा बोया हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित जायदाद पर आमीन पुत्र रहीम खां वगैरा का कब्जा है। अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त सी.जे. सिविल 2019 (2) पेज 313 उच्चतम न्यायालय, डी.एन.जे. 2011 पेज 782 उच्चतम न्यायालय, आर.आर.सी. 1995 पेज 03 पैरा 05 व 06, आर.आर.टी. 2022 (1) पेज 607 पैरा 07, आर.आर.टी. 2022 (1) पेज 184 अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे कहा कि आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.0610 बारानी प्रथम जिसका लगान 0.49 रूपये है, शेष रकबा 0.1190 गैर मुमकिन आबादी का कोई राजस्व लगान नही है। केवल कृषि भूमि का ही लगान होता है आबादी की भूमि का लगान नही होता है नामान्तरण केवल राजस्व लगान की अदायगी हेतु ही सक्षम बनाता है। आबादी मे की भूमि का लगान किस्म परिवर्ततन होते ही आबादी मे आने के बाद समाप्त हो जाता है, इसलिए आबादी का नामान्तरण दर्ज नही होता है। जिसके समर्थन मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त सी.जे. सिविल 2019 (2) पेज 313 मे माननीयउच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आबादी की भूमि का नामान्तरण दर्ज नही किया जा सकता है। इस प्रकार आबादी का नामान्तरण संख्या 1055 दर्ज किया गया है वह विधि विरूद्व है। Rajasthan land revenue act 1956 section 135 held that while attesting mutation it is the duty of the attesting authority to see the compliance of rule 133 of the land record rules has been made in respect of possession according the sale deed. आर.आर.सी. 1995 पेज 03 पैरा 05 व 06 मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि विक्रय पत्र मे जो कुछ लिखा हुआ है वह केवल पंजीयन अधिकारी के सामने किया गया विवरण है लेकिन नामान्तरण तस्दीक करते वक्त तस्दीक करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस बात की जॉच करे कि कब्जा वास्तव मे ही क्रेता के पास चला गया है जब तक नियम 133 की पालना नही होती तब तक नामान्तरण सही तरीके से तस्दीक किया हुआ नही माना जा सकता है तथा यही सिद्वान्त आर.आर.टी. 2022 (1) पेज 607 पैरा 07 मे भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 13 आमीन खां ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय मे बअनुवान आमीन खां बनाम कन्हैयालाल द्वाराघोषणात्मक व हुक्मईम्तनाईदवामी दायर किया जिसमे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, अलवर के द्वारा मौका रिपौर्ट तहसीलदार (भू. अ.) अलवर से चाही गई। जिसमे तहसीलदार महोदय (भू. अ.) द्वारा स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर पर विगत कई वर्षो से आमीन पुत्र रहीम खां निवासी चन्दबास एवं मुन्शी पुत्र सम्पत निवासी भुल्ला का बास का कब्जा काश्त है। जिससे बखूबी साबित है कि उक्त आराजी पर असल रेस्पोडेन्ट का कब्जा नही रहा है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे यह भी तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की गई है तो वह आदेश वोईड है जैसा कि आर.आर.टी. 2022 (1) पेज 184 मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है और अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अलपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1055 दिनांक 05/03/2024 वाके ग्राम चन्दबास अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहादरपुर जिला अलवर का निर्णय अपास्त फरमाया जावे तथा उपरोक्त आराजी के निस्फ हिस्से का नामान्तरण कब्जे के आधार पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 लागायत 19 के हक मे स्वीकार फरमाया जावे। इसके जबाब मे विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस मे तर्क दिया कि न्यायालय नायब तहसीलदार बहादरपुर द्वारा नामान्तरण संख्या 1055 वाके ग्राम चन्दबास सही प्रकार से दर्ज कर स्वीकार किया गया है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है वह खिलाफ कानून प्रस्तुत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

की गई है। अपीलान्ट की अपील सारहीन है रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन मे जो सिविल न्यायाधीश महोदय, अलवर के यहॉ दायर दावे आमीन वनाम कन्हैयालाल का उक्त विवादित आराजी के सन्दर्भ मे दायर किया गया। जिसमे मुझ रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दू पर दायर किया गया था। जिस प्रार्थना पत्र को माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय, अलवर द्वारा खारिज फरमा दिया गया था। जिस आदेश के विरूद्व याचिका माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर मे प्रस्तुत की गई जो रेस्पोडेन्ट की याचिका स्वीकार की जाकर वाद को खारिज फरमा दिया गया जिस आदेश के विरूद्व वादी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय मे एस.एल.पी. दायर की गई जो खारिज फरमा दी गई इसलिए अपीलान्ट का कोई वजूद नही रहा है। रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2011 पेज 31, आर.आर.डी. 2001 पेज 223, आर.आर.डी. 2003 पेज 276, आर.आर.डी. 2002 पेज 282, आर.आर.डी. 2010 पेज 224, आर.आर.डी. 1994 पेज 22 प्रस्तुत किये और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी जरिये विक्रय पत्र खरीद की गई तथा हम रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लागायत 03 के हक मे जो नामान्तरण संख्या 1055 स्वीकार किया गया है वह सही दर्ज किया गया है तथा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 लागायत 19 के हक मे नामान्तरण स्वीकार करने का विरोध किया और कथन किया कि विधिवत रूप से अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के हक मे नामान्तरण दर्ज नही किया जा सकता है और अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस समाप्त की गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरात का ससम्मान अवलोकन किया गया और पाया कि उक्त अपील आबादी की भूमि को लेकर की गई है। इस कारण अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरात हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होती है। जिसके उत्तर मे अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि आमीन द्वारा प्रस्तुत दावा केवल मियाद के बिन्दू पर खारिज किया गया है उसमे किसी भी प्रकार के कोई हक हकूक तय नही किये गये है इसलिए उक्त निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे सलंग्न दस्तावेजात का व प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरण संख्या 1055 आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.1190 हैक्टर गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम चन्दवास का आबादी का नामान्तरण है तथा उक्त आबादी की भूमि पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टस का कब्जा है और उक्त आबादी की भूमि पर असल रेस्पोडेन्टस का कब्जा नही है तथा मौके पर काश्त हो रही है जो कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार अलवर दिनांक 22/03/2022 से साबित है। जिसके अनुसार वर्तमान मे भी उक्त आराजी पर आमीन पुत्र रहीम खॉ व मुन्शी पुत्र सम्पत का कब्जा काश्त है व पशुओ के लिए चारा बोया हुआ है। **राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 की नियम 14 ''संपरिवर्तन के पश्चात भूमि का उपयोग''**– ''के अनुसार कोई रिवर्जन की अनुमति नही दी जायेगी यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई खातेदार जिसने अपनी भूमि को संपरिवर्तन कराने के बाद अपनी भूमि को ऐसे किसी व्यक्ति को अन्तरित कर दी है जो तदअनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है। ऐसे मामले मे जहॉ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य ने अपनी संपरिवर्तित भूमि को किसी व्यक्ति को अंतरित कर दी है और ऐसी भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजनो के लिये पॉच वर्षो की समयावधि या बढाई गई समयावधि मे नही किया गया है तो ऐसी भूमि बिना किसी मुआवजे के राज्य सरकार मे निहित हो जायेगी।''

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

चूँकि मूल रूप से विवादित आराजी ईसर पुत्र हटिला जाति चमार की खातेदारी की आराजी थी जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हे जिसने खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर वाके ग्राम चिरखाना चन्द्रबास तहसील अलवर मे से 0.1190 वर्गमीटर का आवासीय भूमि हेतु तहसीलदार अलवर से आवासीय प्रोजनार्थ हेतु शुल्क जमा कराकर कार्यालय तहसीलदार अलवर के यहॉ से संपरिवर्तन आदेश दिनांक 31/05/1994 के द्वारा कृषि भूमि से आवासीय भूमि मे संपरिवर्तन करवाया था जिसके पश्चात् ईसर पुत्र हटिला जाति चमार के द्वारा उपरोक्त आराजी को आमीन, सुबेदीन पुत्रान रहीम खां जाति मेव निवासी हाल चन्दबासत तहसील व जिला अलवर राज. को दिनांक 10/06/1994 को जरिये दस्तावेज बैयनामा विक्रय किया जिसके पश्चात आमीन सुबेदीन पुत्रान रहीम खा द्वारा गिर्राज प्रसाद कन्हैयालाल पुत्रान किशोरी लाल जाति महाजन को जरिये बैयनामा दिनांक 04/10/1995 को विक्रय कर दिया तथा गिर्राज प्रसाद के वारिसान व कन्हैयालाल के द्वारा असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लागायत 03 को विक्रय कर दिया गया आराजी का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होने के काफी अरसा समय लगभग 30 वर्षो के पश्चात् भी उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और वर्तमान मे भी उक्त आराजी का प्रयोग कृषि कार्य हेतु किया ज रहा है जो कि राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 की नियम 14 के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.1190 हैक्टर वाके ग्राम चन्दबास तहसील व जिला अलवर को सिवायचक दर्ज कर राजकीय खाते मे दर्ज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से इस हद तक स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1055 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लागायत 03 के नाम निर्णय दिनांक 05/03/2024 वाके ग्राम चन्दबास अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहादरपुर जिला अलवर आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर में से 0.1190 हैक्टर गैरमुमकिन आबादी का निरस्त किया जाता है व नायब तहसीलदार बहादरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 0.18 हैक्टर मे से 0.1190 हैक्टर भूमि को खसरा नम्बर 454 में से कम की जाकर उक्त आबादी की भूमि को सिवायचक दर्ज की जाकर राजकीय खाते में जमाबन्दी में दर्ज किया जावे तथा शेष रकबा 0.0610 बारानी प्रथम को यथावत रखा जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज यह निर्णय दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.11.24

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)